न्यायालय: अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ, बिरौल, दरभंगा।

जिला:– दरभंगा,बिहार।

K. Asthan P.S.Case No:- 38/2021

G.R. No:- 133/2021

06.08.2021 Virtual Court:

अभिलेख संज्ञान के विन्दु पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। देखा। सम्पूर्ण काण्ड दैनिकी का परिशीलन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामला सूचिका अमना खातुन पति मोहम्मद हीरा के आधार पर पुलिस द्वारा कुशेश्वरस्थान थाना कांड संख्या– 38/2021 दिनांक 27.02.2021 भा०दं०वि० की धारा 341,323,307,504,506/34 के अंतर्गत अभियुक्त 1. मो० अरसद पे० स्व० स्व० आशिक एवं 2. मो० सोनु पे० मो० मुस्लिम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्जकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा अनुसंधानोपरांत अभियुक्त 1. मो० मुंशी एवं 2. मो० इसराफिल को अनुप्रेषित करते हुये उनका नाम आरोप पत्र के कालम 12(i) में दर्ज किया गया है तथा अन्य प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को भा०दं०वि० की धारा 341,323,504,506/34 के अंतर्गत आरोपित करते हुये आरोप–पत्र संख्या– 91/2021 दिनांक 30.04.2021 काण्ड दैनिकी के साथ न्यायालय में समर्पित किया है तथा अभियुक्तों का नाम आरोप–पत्र के कालम 11(i) में दर्ज किया है।

प्राथमिकी, आरोप–पत्र, जख्म प्रतिवेदन एवं कांड दैनिकी के आधार पर आरोप–पत्र के कालम 12(i) में वर्णित अभियुक्त 1. मो० मुंशी एवं 2. मो० इसराफिल के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया स्थगित किया जाता है तथा आरोप–पत्र के कालम 11(i) में वर्णित प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 1. मो० अरसद पे० स्व० आशिक एवं 2. मो० सोनु पे० मो० मुस्लिम के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 341,323,504,506/34 के अंतर्गत अपराध का प्रथमदृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है, तदनुसार प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 1. मो० अरसद एवं 2. मो० सोनु के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 341,323,504,506/34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है तथा ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निरस्त करते हुये अभिलेख निजी विचारण पंजिका में दर्ज किया जाता है। कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु समन निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 10.09.2021 को अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु नियत।

टंकित/लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ,
बिरौल, दरभंगा।